समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
पत्रांक.....541...../गो0

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

सिविल सर्जन, मधेपुरा
अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशनुगंज
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा
उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा / सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सभी थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक 25/02/2015

विषय : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक 24-02-2015 को विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से विधि-व्यवस्था संबंधी समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निर्देश का अनुपालन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 24-02-2015 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ विधि-व्यवस्था के संबंध में विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक की गई, जिसमें निम्नांकित निर्देश दिए गए -

- होली के समय अन्य राज्यों से अपने-अपने घर, बिहार आने वाले व्यक्तियों में हो सकता है कि स्वाइन फ्लू का संक्रमण हो और उनसे इस जिले में भी संक्रमण फैले, इस संबंध में निर्देश दिया गया कि सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन के साथ बैठक कर स्वाइन फ्लू के रोकथाम हेतु दवाओं का पर्याप्त भंडारण, जागरूकता एवं मरीजों की पहचान होने पर तत्काल अस्पताल में भर्ती की कार्य योजना तैयार कर ली जाए। सभी अस्पतालों में कुछ आईसोलेटेड वार्ड को चिन्हित कर रखा जाए।

- होली के समय जिन स्थानों पर विगत वर्षो में किसी प्रकार की हिंसक घटना घटी थी या किसी प्रकार का सामाजिक /साम्प्रदायिक तनाव की समस्या हुई थी, वहाँ पूर्व से हीं ऐहतियात बरता जाए। उन स्थानों पर शांति समिति की बैठक की जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए। विवादास्पद अथवा विवाद की संभावना वाले सभी क्षेत्रों का मैपिंग किया जाए।

- रूल ऑफ लॉ अर्थात कानून का शासन बनाए रखने पर बल दिया जाए। अपराधियों में कानून से भय हो, इसके लिए कुछ मामलों को चिन्हित कर स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। साम्प्रदायिक/ सामाजिक तनाव के संबंध में ''जीरो टॉलरेन्स'' की नीति सरकार की है। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ हीं इस प्रकार के तनाव उत्पन्न न हो, इस संबंध में निरोधात्मक कार्रवाई पर बल दिया जाए। सभी लंबित वारण्टों का त्वरित निष्पादन हो। क्रिमिनल अपील के सभी लंबित मामलों में पर्यवेक्षण ससमय कराते हुए प्रगति लाई जाए। सरकारी गवाह बनने वाले पदाधिकारियों को ससमय कोर्ट में प्रस्तुत होना

चाहिए। यदि उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया है, तो उन तक तुरंत सूचना पहुँचे तथा उनके द्वारा कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए।

➤ भ्रष्टाचार के मामले में ''जीरो टॉलरेन्स'' की नीति है। प्रखंड /अंचल /थाना सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु बात-बात पर रोड जाम करना, लोगों की आम धारणा बन चुकी है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर आक्रोश /गुस्सा का त्वरित समाधान किया जाए।

➤ होली के अवसर पर शराब बंदी का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाए। होली के समय शराब की मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण अवैध /जहरीले शराब की बिक्री होती है, इसे पूर्णतया रोका जाए। ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से शराब पीकर उपद्रव करने वाले लोगों विशेषकर जुलूस आदि में शामिल लोगों पर जुर्माना अधिरोपित करने का प्रस्ताव थानाध्यक्ष द्वारा भेजा जाना चाहिए।

➤ साम्प्रदायिक रंग में रंगे प्रेम-प्रसंग के मामले/ बलात्कार/ हत्याकांड से जुड़े मामलों पर त्वरित कार्रवाई हो। कमजोर वर्गों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहा जाए। फिरौती /अपहरण आदि मामलों में इस अपराध के पीछे जो सफेदपोश व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई के साथ-साथ **CCA** के तहत् भी प्रस्ताव दिया जाए। हाल हीं में नकद राशि के लूट के मामलों में हुई वृद्धि को रोकने हेतु अवैध वाहनों की सघन तलाशी ली जाए। नकद राशि वितरण से संबंधित सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के समय विशेष सावधानी बरती जाए।

➤ कब्रिस्तान विवाद तथा सामान्य भूमि विवाद के मामलों का त्वरित निष्पादन पर बल दिया जाए। थाना तथा अंचल कार्यालय द्वारा सम्मिलित रूप से भूमि संबंधी विवादों का समाधान त्वरित रूप से किया जाए।

➤ बिजली की समस्या का समाधान किया जाए। गलत बिलिंग, ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन, मीटर रीडिंग, नया कनेक्शन, राजस्व वसूली आदि से संबंधित समस्याओं का निराकरण अतिशीघ्र किया जाए।

➤ होली के समय हीं 06 मार्च को जुमे की नमाज अदा की जाएगी, इस कारण विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यक्ता होगी। यदि कहीं इस अवसर पर जुलूस निकालने की प्रथा हो, तो मार्ग का सत्यापन कर लिया जाए एवं आयोजकों को लाइसेन्स निर्गत किया जाए।

➤ सामान्य विधि-व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु कम्युनिटि पुलिसिंग पर बल दिया जाए। Administrative Friendly लोगों का सहयोग प्राप्त कर विधि-व्यवस्था हरहाल में कायम रखना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

25/02/15

जिलाधिकारी
मधेपुरा।